दिनांकः 20 अगस्त, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1101/79–वि–1–10–1(क)18/10
लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने **उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010** पर दिनांक 19 अगस्त 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

के0के0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या–1101(1)/79–वि–1–10–1(क)18/10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को अधिनियम की मूल प्रति के साथ।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
8– संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(अलख नारायण)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) धारा 4 के खण्ड (ख) को दिनांक एक जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 6–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6–क में, स्पष्टीकरण में से शब्द "या जांच चौकी पर तैनात" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात :–

"(च) इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया जाता है, जो

(एक) पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या

(दो) निर्माण की स्थिति में लागत मूल्य से,

कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल या निर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक होगी।

धारा 17 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 17 में,

(क) उपधारा (3) में शब्द "प्रत्येक व्यवहारी" के स्थान पर शब्द "उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक व्यवहारी" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) में, विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर *निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्* :–

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिसम्भाग में तैनात अपर कमिश्नर का यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी को निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से निवारित करने वाली ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह विलम्ब को माफ कर सकता है और यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा करनिर्धारक प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह इस अधिनियम तथा तदधीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही करें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि विलम्ब क्षमा का आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ निम्नलिखित का प्रमाण–पत्र संलग्न न हो:–

(एक) विलम्ब अवधि के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक विलम्ब शुल्क प्रतिमाह पांच सौ रुपये अथवा इसके आंशिक भाग तथा 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रतिमाह एक हजार रुपये अथवा उसके आंशिक भाग का भुगतान;

(दो) प्रार्थना–पत्र जमा करने के दिनांक तक समस्त कर अवधियों की कर विवरणी का भरा जाना;

(तीन) इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज के साथ–साथ खण्ड (दो) के अधीन कर विवरणी में शुद्ध कर का भुगतान;

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड के अधीन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी आवेदन–पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।"

धारा 24 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 26 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 26 में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी होते हुये यदि कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल लाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी, के ऐसे माल की प्रत्येक प्राप्ति का पृथक–पृथक कर निर्धारण कर सकता है।

7—मूल अधिनियम की धारा 28 में, धारा 28 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में से उपखण्ड (छह) निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(9) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, जहां कोई गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल किसी कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है वहां प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के संबंध में उसी वर्ष के लिए पृथक—पृथक कर निर्धारण किया जा सकता है।"

8—मूल अधिनियम की धारा 48 में— धारा 48 का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"(2) जहां उपधारा (1) में संदर्भित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाडी, जलवाहन, भवन या स्थान में पाये गये माल, किसी वास्तविक व्यवहारी के नहीं हैं अथवा माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या यह कि यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में अनुरक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों, व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नही किया है, वहां उसे ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और इस धारा के अवशेष उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का, यथा स्थिति, व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल को उपधारा (1) में संदर्भित लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नही दर्शाया गया है या उक्त माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है या किसी व्यवहारी द्वारा समुचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया गया है या माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां उक्त संव्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित "माल के मूल्य से करापवंचन के आशय से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक के माल का अवमूल्यन हुआ है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आदेश पारित करेगा।"

9—मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (1) की तालिका में क्रमांक 1 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :— धारा 54 का संशोधन

(1)	(2)	(3)
1	व्यवहारी युक्तियुक्त कारण के बिना निम्नलिखित के लिए विफल हो गया है :—	
	(क) किसी कर अवधि के लिए देय कर को विहित या बढायी गयी अवधि के अन्तर्गत जमा करना;	शुद्ध संदेय कर का 20 प्रतिशत
	(ख) किसी कर अवधि के लिए विहित रीति से कर विवरणी जमा करना;	दो हजार रुपये

10—मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (12) के खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:— धारा 57 का संशोधन

"(एक) जहां ऐसे आदेश में, जो स्थगन के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर पारित आदेश न हो, विवादित कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये या समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित ऐसी धनराशि तीन लाख रुपये से अनधिक हो, से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा।"

उद्देश्य और कारण

माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2009) द्वारा जांच चौकियों तथा नाकों की स्थापना से सम्बन्धित उपबन्धों को समाप्त करने के सम्बन्ध में अनुवर्ती संशोधन करने और व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान में लायी गयी कतिपय कठिनाइयों को दूर करने और राज्य के राजस्व के हित में कतिपय उपबन्ध करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय;–

(क) जाँच चौकियों को समाप्त करने से सम्बन्धित अनुवर्ती संशोधन करना;

(ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के विधिमान्यकरण और निर्गमन के लिये आवेदन करने में विलम्ब को माफ करने के लिए अपर कमिश्नर को सशक्त करना;

(ग) एकल पीठ द्वारा किसी अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरूद्ध दो लाख रुपये तक की विवादग्रस्त धनराशि की अपील की सुनवायी किया जाना;

(घ) ऐसे मामलों में जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का विक्रय, क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है, वहाँ माल अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीमित करना;

(ङ) मिथ्या विवरण युक्त माल को साथ–साथ ले जाने के सम्बन्ध में अभिग्रहण और शास्ति।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।